न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी, रा0 म0 ग्वालियर,
प्रकरण कं.0 /16 निगरानी नि -2618-पीबीआर-16

1– खुदाबख्श पिता इब्राहिम जाति नायता आयु 70 वर्ष
2– रहमतअली पिता इब्राहिम जाति नायता आयु 60 वर्ष
निवासी ग्राम जांदला तहसील बडनगर जिला उज्जैन
3– अजमेरी फ्ता इब्राहिम जाति नायता आयु 50 वर्ष
निवासी ग्राम धर्माट पोस्ट चन्द्रावतीगंज

–––आवेदकगण

विरूद्ध

1– मुश्ताक पिता बाबु जाति नायता आयु 32 वर्ष,
2– शायराबाई विधवा बाबु जाति नायता, आयु 53 वर्ष,
निवासी ग्राम उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन

––अनावेदक

निगरानी आवेदन धारा 50 भू0 रा0 सं0

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,बडनगर
द्वारा प्र0 कं0 118/2012–13 अपील मे पारित
आदेश दिनांक 25/07/2016 से असंतुष्ट एंव क्षुब्ध होकर निगरानी ।

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की और से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, अनावेदक गण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय बडनगर के समक्ष , तहसीलदार महोदय बडनगर के प्रकरण कं0 26–अ–27/2006/2007 मे पारित आदेश दिनांक 07/07/2007 के विरूद्ध दिनांक 30/08/2013 को प्रस्तुत की गई । तथा एक आवेदन धारा 5 अवधि विधान का प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन की तामील आवेदकगण को होने के उपरांत आवेदकगण द्वारा उसका जवाब प्रस्तुत किया गया तथा दोनो पक्षो की बहस श्रवण करने के उपरांत दिनांक 25/07/2016 को अधीनस्थ न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी बडनगर द्वारा अनावेदकगण का आवेदन धारा 5 अवधि विधान का स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आदेश प्रदान किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर उक्त निगरानी आवेदन अन्दर अवधि मे प्रस्तुत है ।

––निरन्तर 2 पर

खुदाबख्श रहमतअली अजमेरी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2618-पीबीआर/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	